(२)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2019 – रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा –प्रार्थी	बनाम श्री मोहनलाल पिता शिवनारायण जाट निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा –विपक्षी

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री हनुमान प्रसाद बाजीया अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.07.2019

प्रार्थी तहसीलदार, शाहपुरा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि तहसील शाहपुरा के ग्राम डोहरिया पंचायत समिति शाहपुरा के साबिक आराजी नं. 1122 रकबा 7.02 किस्म पाल जो पूर्व में संवत् 2010 से 2013 की जमाबंदी अनुसार उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सरकार होकर किस्म पाल दर्ज थी। उक्त भूमि बिलानाम सरकार से अप्रार्थी के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 422 दिनांक 07.02.1966 से भूप्रबन्ध के दौरान विसंगति से दर्ज कर दी गयी। उक्त वर्णित भूमि के हाल आराजी नं. 1846 रकबा 0.45 हैक्ट. में से 0.20 हैक्ट. जो मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट सिद्ध हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी के स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के नाम आराजी नं. 1846 रकबा 0.46 में से रकबा 0.20 गे.मु. पाल को बिलानाम खाते में दर्ज कराया जावे।

रेफरेन्स प्रतिवेदन दिनांक 23.01.2007 को पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की ओर से दिनांक 30.06.2008 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। इस संबंध में विपक्षी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में इस प्रकरण के विषय में निगरानी प्रस्तुत की गयी जिसे माननीय राजस्व मण्डल ने एल आर सं. 7130/2008 से दर्ज कर दिनांक 21.06.2018 को निर्णित कर विपक्षी की निगरानी खारिज की गयी। राजस्व मण्डल से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर रेफरेन्स प्रकरण 01/2019 दिनांक 11.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं उभयपक्षों को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त हुयी। तहसीलदार शाहपुरा से जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.06.2019 से प्राप्त अनुसार –

1. साबिक आराजी नं. 1122 रकबा 7.02 बीघा बिलानाम पाल दर्ज रिकार्ड थी। अतिक्रमण से शिवनारायण मगना पिता रामकरण जाट के नाम 0.18 बिस्वा भूमि तहसीलदार शाहपुरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

द्वारा नियमन की गयी।

2. ग्राम डोहरिया तहसील शाहपुरा के आराजी नं. 1846 रकबा 0.45 किस्म गे.मु. पाल खातेदार मोहनलाल पुत्र शिवनारायण जाट खातेदार के नाम दर्ज हैं। मौके पर 0.15 हैक्ट. में कृषि की जा रही हैं। 0.30 हैक्ट. पर बाडा बनाया हुआ हैं।

उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग की किस्म पाल अंकित थी। ऐसी भूमि के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार होकर आवंटन आदेश व संस्थित किए गए नामान्तरकरण को निरस्त कराया जाना युक्ति–युक्त हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं0 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम डोहरिया तहसील शाहपुरा के हाल आराजी नं. 1846 रकबा 0.45 हैक्ट. भूमि को विपक्षी मोहनलाल पिता शिवनारायण जाट तहसील शाहपुरा के नाम से खारिज कर पुनः बिलानाम पाल अंकित दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)